प्रकरण संख्या 4/2023 कान्तिलाल बनाम श्रीमती ज्योति

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओगणा में प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी नंबर 1951 रकबा 0.15 हैक्टर स्थित है। इस भूमि के पड़ोस पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की आराजी नंबर 1918 रकबा 1.25 हैक्टर स्थित है, जिसकी दक्षिणी सीमा से लगती हुई ग्राम पंचायत द्वारा बनायी गई ग्रेवलन सड़क है, जो आराजी नंबर 1953 में बना रखी है, जो सी.सी. रोड़ से मिली हुई है। प्रार्थीया की भूमि में आने–जाने का एक मात्र यही रास्ता विपक्षी की भूमि से होकर ही है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः विपक्षी की आराजी नंबर 1918 में से 12 फिट चौड़ा व 400 फिट लम्बा रास्ता दिलाया जावे। प्रार्थीया डी.एल.सी. दर से कीमत विपक्षी को अदा करने को तैयार है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17–10–2021 को निर्णय पारित करते हुए डी.एल.सी. दर से दुगनी कीमत की शर्त पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–01–2023 को प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुरेश त्रिवेदी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थी को नहीं थी। बाद में प्रार्थी जब अपनी [illegible] पर गया तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि मौजा ओगडा की आराजी नंबर 1918 रकबा 1.25 हैक्टर में अपीलान्ट कान्तिलाल का 3/4 हिस्सा तथा कन्हैयालाल का 1/4 हिस्सा अंकित है तथा आराजी नंबर 1951 रेस्पोन्डेन्ट की खातेदारी की है। अपीलान्ट की आराजी नंबर 1918 में से रास्ता प्रदान करने के लिए रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित करते हुए मुझ अपीलान्ट की भूमि से रास्ता प्रदान कर दिया, जबकि आराजी नंबर 1918 रकबा 1.25 हैक्टर में अपीलान्ट कान्तिलाल का 3/4 हिस्सा तथा कन्हैयालाल का 1/4 हिस्सा होकर उक्त भूमि का अभी बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे निरन्तर विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। आराजी नंबर 1953 में रास्ता बना हुआ है, जिसमें पूर्व से ट्रक, टेक्टर निकलते हैं तथा रेस्पोन्डेन्ट के निकटतम खसरा नंबर 1952 है, जहां से सीधा रास्ता उपलब्ध है तथा इसी रास्ते का इस्तेमाल रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी करते चले आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 1953 में रास्ता होने के बावजूद अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता प्रदान कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कीमतन रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली

प्रकरण संख्या 4/2023 कान्तिलाल बनाम श्रीमती ज्योति

का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस पटवारी रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, उस रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि ''खसरा नंबर 1953 किस्म चारागाह के दक्षिण सीमा में परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के छात्रावास तक ग्रेवल सड़क बनी हुई है, जो कि किस्म चारागाह है परन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है।'' उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी को आराजी नंबर 1953 किस्म चारागाह से भी रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जा सकता था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उसके खाते की आराजी नंबर 1918 जिसमें कि अपीलान्ट का 3/4 हिस्सा है तथा अन्य खातेदार कन्हैयालाल का 1/4 हिस्सा है एवं उक्त आराजी का सहखातेदारों के मध्य अभी विभाजन नहीं हुआ है, उसमें से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.10.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/विपक्षी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर यदि अन्य किसी आराजी में से कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो उस पर पुनः रिपोर्ट प्राप्त कर एवं पक्षकारों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

...सिंह सांगावत)
भू-... अधिकारी
एवं पदे... अस्थ अपील अधिकारी
उदयपुर